

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी

(खण्ड-ग, द्वितीय तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल)

दूरभाष नं. 2554567, 2554568

(coop.election.mp@mp.gov.in)

क्रं./सह.नि.प्रा./निर्वाचन-3/2022/8818

भोपाल दिनांक 20 DEC 2022

// आदेश //

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 49-घ के प्रावधानों के अंतर्गत आर.आर. केट कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर, जिला इन्दौर (पंजीयन क्रमांक 1172 दिनांक 04.05.1993) के संचालक मंडल के सदस्यों, पदाधिकारियों एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु श्री जी.एस. परिहार, अंकेक्षण अधिकारी, जिला इन्दौर को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 20 DEC 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

M. B. J. R.
(एम.बी.ओझा)

म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी

भोपाल

भोपाल दिनांक

20 DEC 2022



पुं.क्र./सह.नि.प्रा./निर्वाचन-3/2022/8818

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला इन्दौर की ओर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 49-ट(3) के अंतर्गत सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
4. उप आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर की ओर भेजकर लेख है कि कार्यालयीन पत्र क्रं./सह.नि.प्रा./2014/7263 दिनांक 19.12.2014 में दिये गये निर्देशानुसार नामांकन पत्र प्राप्ति, जांच एवं वापसी का कार्य कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर में नियत स्थान/कक्ष पर ही किया जाना तथा इसका उल्लेख संस्था के निर्वाचन हेतु जारी किये जा रहे कार्यक्रम में आवश्यक रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करें। कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सह.नि.प्रा./2014/7264 दिनांक 19.12.2014 में दिये गये निर्देशानुसार आमसभा की सूचना का प्रकाशन शहर के सर्वाधिक प्रचार-प्रसार वाले समाचार पत्र में करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इन्दौर की ओर सूचनार्थ, कृपया उपरोक्त संस्था के निर्वाचन कार्यक्रम को कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करने एवं कार्यक्रम का समुचित प्रचार-प्रसार कराने हेतु।
6. जिला जनसम्पर्क अधिकारी इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं संस्था के निर्वाचन से संबंधित समाचार स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
7. अध्यक्ष / प्रबंधक / प्रभारी अधिकारी, आर.आर. केट कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. श्री जी.एस. परिहार, अंकेक्षण अधिकारी, जिला इन्दौर एवं रिटर्निंग अधिकारी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संलग्न निर्वाचन कार्यक्रम एवं अन्तिम सदस्यता/मतदाता सूची के आधार पर संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों, पदाधिकारियों एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन संपन्न करावें।

M. B. J. R.
म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी

भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी

(खण्ड-ग, द्वितीय तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल)

दूरभाष नं. 2554567, 2554568

(coop.election.mp@mp.gov.in)

आर०आर०के सहकारी संस्था / मण्डल मर्यादित इकाई
जिला इकाई के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम

क्र.	विवरण	दिनांक
1	महिला पदों के विनिश्चय हेतु संचालक मण्डल की बैठक हेतु सूचना जारी किये जाने की तिथि	02.01.2023
2	महिला पदों के विनिश्चय हेतु संचालक मण्डल की बैठक की तिथि	05.01.2023
3	आमसभा की सूचना एवं निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने की तिथि	06.01.2023
4	नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि	13.01.2023
5	नामांकन पत्रों की जांच एवं वैध नामांकन पत्रों की सूची का प्रकाशन की तिथि	14.01.2023
6	नामांकन पत्रों की वापसी, चुनाव लड़ने वाले अंतिम उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन की तिथि	15.01.2023
7	विशेष साधारण सम्मेलन में मतदान एवं मतगणना की तिथि	20.01.2023
8	रिक्त स्थानों के सहयोजन की तिथि	21.01.2023
9	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु सूचना जारी किये जाने की तिथि	21.01.2023
10	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन की तिथि	24.01.2023

रिटर्निंग अधिकारी के लिए विशेष निर्देश

1. निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जावे, निर्वाचन प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क का उपयोग किया जावे तथा निर्वाचन स्थल को समय-समय पर सैनेटाइज किया जावे।
2. निर्वाचन की समस्त कार्यवाही की मोबाईल फोन द्वारा विडियो रिकॉर्डिंग की जावे।
3. कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जावे।
4. संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा धारा 144 के अंतर्गत विशेष प्रतिबंधात्मक आदेश या लॉकडाउन जारी किये जाने की स्थिति में उपरोक्त कार्यक्रमानुसार निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की जाकर, संशोधित कार्यक्रम जारी करने हेतु इस कार्यालय को अवगत करायें।



IB RO 20 (s) program

M. V. O. J. A.
(एम.वी.ओ.झा)

म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी
भोपाल

436